

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम:— राज्य योजना के अन्तर्गत लंगासू-निवाणी-खेत-सिलंगी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.210 हे० सिविल वन भूमि, 1.05 हे० वन पंचायत भूमि, 1.680 हे० आरक्षित वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.150 हे० कुल भूमि 3.09 हे० सिविल/वन पंचायत/आरक्षित वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

राज्य योजना के लंगासू-निवाणी-खेत-सिलंगी मोटर मार्ग की स्वीकृत शासनादेश संख्या 764/111(2)/08-65 (प्रा०आ०)/07 दिनांक 24/03/2008 के द्वारा 15.00 कि०मी० लम्बाई हेतु लागत रू० 551.25 लाख की प्राप्त हुई हैं। मार्ग निर्माण की वास्तविक लम्बाई 7.900 कि०मी० आती है।

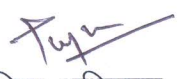
प्रस्तावित मोटर मार्ग एन०एच० 07 के कि०मी० 409... (हे०मी०) से प्रारम्भ हो कर सोनला-कण्डारा-मैखुरा मोटर मार्ग के कि०मी० 20 में जुड़ जायेगा। इस मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम-निवाणी, उमराकोट उर्फ बैडाणू, उल्फाडा, घरकूडी (उल्फाडा) एवं सिलंगी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे तथा ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र यातायात से जुड़ जायेगे। इनका समग्र विकास होगा तथा साथ ही ग्रामीणों का तहसील मुख्यालय कर्णप्रयाग से सीधा सम्पर्क हो सकेगा। तथा अपनी नगदी फसलों को बाजार तक लाने में सुविधा होगी तथा उचित दाम पर बेच सकेंगे, जिससे ग्रामीणों को आर्थिक लाभ मिलेगा।

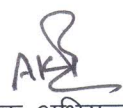
मार्ग का संरेखण इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि मार्ग निर्माण न्यूनतम आरक्षित/सिविल एवं वन पंचायत भूमि से गुजरे एवं कम से कम वृक्षों का पातन हो। मार्ग पर पडने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार से हैं।

1-सिविल वन भूमि	0.300 कि०मी० x 7 मी०	=	0.210 हे०
2-वन पंचायत भूमि	1.50 कि०मी० x 7 मी०	=	1.05 हे०
3-आरक्षित वन भूमि	2.400 कि०मी० x 7मी०	=	1.680 हे०
5-मक डिस्पोजल हेतु		=	0.150 हे०
योग		=	3.09 हे० ।

अतः मार्ग निर्माण हेतु 0.210 हे० सिविल वन भूमि, 1.05 हे० वन पंचायत भूमि, 1.680 हे० आरक्षित वन भूमि एवं मक डिस्पोजल 0.150 हे० कुल 3.09 हे० वन भूमि का प्रस्ताव गठित कर लो०नि०वि० को हस्तान्तरण करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर


अधिशर्मा अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर